

महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका

श्रीमती नितेश*

शोध-सार

“बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने व उनका जन्म व जीवन सुरक्षित करने के लिए बेटा बचाओ, जन्म के बाद भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि, गरीब महिलाओं की रसोई को धुआंमुक्त कर उन्हें और उनके बच्चों को तमाम बीमारियों से बचाने के लिये ‘प्रधानमंत्री उज्वला योजना’ उनमें उद्यमिता के विकास के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएँ तथा सामाजिक रूप से सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार इत्यादि कुछ नवीन योजनाएँ हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उम्मीद की किरण जगाई है। इनका क्रियान्वयन अगर प्रभावी व पारदर्शी तरीके से होगा तो राष्ट्र एक नये युग की ओर कदम बढ़ायेगा

प्रस्तावना

महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है इसलिए राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को ध्यान में रखकर ही विकास के रथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के योगदान के बिना किसी भी देश के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किये बिना एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र का स्वप्न भी अधूरा है। परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं कम नहीं पर पुरुष प्रधान समाज द्वारा महिलाओं को हमेशा दोगले दर्जा दिया गया। उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अधिकारों से वंचित रखा गया। अगर विश्व की सम्पूर्ण सम्पत्ति की बात करे तो महिलाओं के हिस्से में आज भी लगभग 1 प्रतिशत सम्पत्ति है और पुरुषों के पास लगभग 99 प्रतिशत। निर्णय निर्माण स्तर पर देखा जाये तो दोनों के बीच गहरी खाई देखने को मिलती है।

जैसे-जैसे विकास का रथ आगे बढ़ता गया, राज्यों की कल्याणकारी सरकारों ने यह महासूचक किया कि आबादी के आधे हिस्से को नजरअन्दाज करके कोई भी राष्ट्र समृद्धी व खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव संसाधन के इस आधे हिस्से को सदियों तक समानता या बराबरी के हक से वंचित रखा। जिससे समाज के आर्थिक विकास में यह आधा हिस्सा वह योगदान नहीं दे पाया, जो दे सकता था। क्योंकि इनके पास अवसरों की कमी व संसाधनों तक पहुँच नहीं थी। कोई भी राष्ट्र अपने सम्पूर्ण संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पर मानव संसाधन का कुशलतम उपयोग तब तक सम्भव नहीं है जब तक महिलाओं को हर स्तर पर समानता का हक नहीं मिल जाता।

नीचा लिंगानुपात और जन्म ले चुकी बेटियों के जीवन को अगर हम जानने की कोशिश करे तो उस मानसिकता को पाएँगे जिसने इन समस्याओं को इतना विकराल बना दिया। सवाल यहाँ सिर्फ लड़की के अस्तित्व का नहीं है। वरन समाज में निर्धारित कर दी गयी विभिन्न लैंगिक भूमिकाओं का है। स्त्रीलिंग की परिधि में शामिल और पुल्लिंग की परिधि ले बाहर मानी जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं व धारणाओं का भी सवाल है। इससे यह पता चलता है कि हमारी मानसिकता में कितना परिवर्तन आया है और हमें कितना बदलने की आवश्यकता है।

भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो नारी एक जटिल सामाजिक रचना है। मानव के रूप में वह पैदा तो होती है, पर जन्म के साथ ही उसकी पुनर्रचना का कार्यक्रम संस्कृति के कठोर अस्त्रों-शस्त्रों के माध्यम से प्रारम्भ हो जाता है। बेटियों को सम्पूर्ण इंसान भी न मानने की हमारी मानसिकता हमारे मानसिक दिवालियेपन को जाहीर करता है।

* सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, जी.के.गोवाणी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीनामल, जालोर, राजस्थान।

अतीत के सामाजिक ताने-बाने ने सम्मान और अधिकार के भाव से स्त्रियों को वंचित रखा। इस परिप्रेक्ष्य में समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। किसी भी समाज में समानता की यह आवश्यकता बेशक नहीं है, परंतु इस समानता को पाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास यकीनन आधुनिक समय की पहचान है। इस आवश्यकता को समझते हुए सरकार द्वारा नए-नए कार्यक्रमों के जरिए इस लैंगिक असमानता की खाई को पाटने व आधी आबादी के लिए एक बेहतर ज़िंदगी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धीरे-धीरे इस विकट समस्या की ओर आधुनिक राष्ट्र और समाज की दृष्टि गई और इस ओर संगठनात्मक तथा राष्ट्र-सरकारों ने भी उचित ध्यान दिया है।

भारत में आजादी के पश्चात् इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया। संविधान ने स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए जिससे मताधिकार, संपत्ति, विवाह और रोजगार संबंधी आदि विषयों में स्त्रियों को बराबरी का स्तर प्राप्त हुआ। किंतु यह समान स्तर अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। इसके लिए भारत सरकार अलग-अलग आयामों से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव सामने आ जरूर रहे हैं, पर ये प्रभाव किस मात्रा में हो रहे हैं, इसलिए समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता है। समय समय पर इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

इस आलेख का उद्देश्य ऐसी ही योजनाओं और उसके पीछे काम सरकार के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को सामने लाना है जो महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है। इनमें से प्रमुख योजनाओं का बिंदुवार विवरण आगे प्रस्तुत है :-

बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई *बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना* का उद्देश्य बच्चियों को समर्थ व सक्षम बनाना है। इस क्रम में सरकार का जोर बच्चियों की शिक्षा पर भी है। बच्चियों में ड्राप आउट की बढ़ती दर भी एक समस्या बनी हुई है। इसी कारण बच्चियों में शिक्षा, उनके कौशल विकास व सामाजिक विकास के लिए काफी जरूरी है। वर्ष 2011 में प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि शिशु लिंग अनुपात में भारी अंतर आ गया है। 0-6 वर्ष तक के बच्चों में प्रत्येक 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 918 प्राप्त हुई जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रही थी। यह जन्म से पहले और बाद में महिला सशक्तीकरण का विषय माना गया। इस समस्या को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम को तैयार किया। इस कार्यक्रम द्वारा जन्म से पहले भेदभाव से संघर्ष और संरक्षण संबंधी उपाय किये गए। साथ ही जन्म के बाद उसके बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्घोष 22 जून, 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत स्थान से किया गया। इस योजना में सरकार ने एक ओर सामाजिक जागरूकता लाने का लक्ष्य रखा वहीं दूसरी ओर 100 अतिप्रभावित जिलों में तीव्र परिणाम के लिए संगठनात्मक पहल की गई। बेटियों के जीवन के लिए जनसहभागिता और जागरूकता को ही हथियार बनाना गया। यह भारत सरकार के मंत्रालयों का एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास है जिसमें महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है। वर्तमान में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा सीधे जिलाधिकारी के माध्यम से संचालित हो रही है। यह विषय चिंताजनक है कि भारत में आधुनिकीकरण और प्रायोगिकी के विकास के बावजूद लिंगानुपात में इतना अंतर आ रहा है। इस कारण ही योजना में शिक्षा व सामाजिक जागरूकता और भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह दावा किया है "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना के अंतर्गत कवर किये गए देश के 161 जिलों में से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान में 14 में से 10 जिलों पेजाब के 20 में से 14 जिलों, उत्तर प्रदेश के 21 में से 15 जिलों तथा महाराष्ट्र के 16 में से 9 जिलों के महिला पुरुष लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है।

लिंग अनुपात 2014-15 में प्रति 1000 लड़को पर 918 था जो 2019-20 में प्रति 1000 लड़को पर 931 हो गया। इस प्रकार लिंग अनुपात में 16 अंको का सुधार देखा गया। "बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं" योजना पर वर्ष 2014-15 में 2018-19 तक सरकार द्वारा कुल 648 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बेहतरीन प्रयास है। वित्तीय समावेशन की ओर मौजूदा सरकार का विशेष ध्यान रहा है। इस दिशा में बीते वर्षों में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, सुकन्या समृद्धि योजना उन्ही योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत की गई।

इस योजना के अंतर्गत बच्ची के माता-पिता या विधिक अभिभावक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में न्यूनतम रु. 1000 के साथ उक्त खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत एक परिवार से दो बच्चियों के खाते खोले जा सकते हैं। जुड़वा बच्चियों की स्थिति में तीन खाते भी खोले जा सकते हैं। इस खाते में एक वर्ष के दौरान न्यूनतम रु. 1000 व अधिकतम रु. 1,50,000 जमा किए जा सकते हैं। इस खाते से बालिका एक समय में बड़ी धनराशि प्राप्त कर लेती है जिससे वह अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा अनुभव कर सके। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के दो महीने के भीतर ही इस योजना के तहत देशभर में 1,80,000 खाते खोल लिए गए।

प्रधानमंत्री उज्वला योजना

भारत में रसोई ईंधन की समस्या को ध्यान में रखते हुए 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्वला योजना का आरंभ किया गया। यह योजना धुआरहित ग्रामीण भारत के सपने की ओर सशक्त कदम है और इसका मूल मंत्र है: स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन इस योजना में 2019 तक ग्रामीण भारत में मूलतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 5 करोड़ रियायती एल. पी. जी. कनेक्शन देने का लक्ष्य था।

इस योजना से जहां महिला स्वास्थ्य पर धुएं के प्रभाव को समाप्त किया जायेगा वहीं वायु प्रदूषण और जंगल कटाई की समस्या का भी निवारण हो सकेगा। इस योजना का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करना भी है। यह प्रयास महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए ही प्रभावी सिद्ध होगा क्योंकि धुएं का सबसे अधिक असर यही वर्ग सहता है।

इस योजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 3 वर्ष के लिए 8000 करोड़ धनराशि मंजूर की। वहीं बजट 2016 में भी इस वर्ष के लिए 2000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान था। बी. पी. एल. परिवारों के 5 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। यह व्यवस्था बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन खरीदने में आर्थिक सहायता के लिए है। यह पहली बार है जब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है। इस योजना में भारत के मध्य वर्ग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री के *गिव इट अप* अभियान के तहत 1.13 करोड़ मध्यवर्गीय परिवारों ने सब्सिडी का परित्याग कर बाजार मूल्य को स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

केन्द्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी।

मुद्रा योजना के दो मुख्य मकसद हैं, पहला स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, दूसरा छोटे उद्यमों के जरिए योजगार का सृजन करना। छोटे उद्यम के लिए बैंक से लोन लेने में काफी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती थी लोन लेने के लिए गारंटी भी देनी पड़ती थी, इस वजह से कई लोग उद्यम तो शुरू करना चाहते थे लेकिन बैंक से लोन लेने से कतराते थे। उनके लिए मुद्रा योजना वरदान साबित हुई।

महिलाओं पर फोकस

मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी ; डपबतव न्दपजे कमअमसवचउमदज त्मपिदंदबमद्ध है। मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले चार लोगो में से तीन महिलाएँ हैं। 23 मार्च 2018 तक मुद्रा योजना के तहत 228144 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किये जा चुके थे व 220596 करोड़ रुपये के लोन बांटे जा चुके थे।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 5.77 करोड़ लघु व्यवसायिक इकाइयाँ हैं, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 करोड़ लोग कार्यरत हैं, इन लोगो को मुद्रा योजना से मदद मिल रही है। मुद्रा योजना के जरिए महिलाओं का हौसला बढ़ा है वे अपने कारोबार को तेजी से आगे लेकर जा रही हैं।

नारी शक्ति पुरस्कार एवं स्त्री शक्ति पुरस्कार

वर्ष 2014 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8 महिला प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रशस्ति पत्र और धनराशि के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार नारी शक्ति विशेष अथवा संस्था को दिए जाते हैं जिसमें 1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों केन्द्र

शासित प्रदेशों सम्बन्धित मंत्रालायो/विभागों गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित ऐसे लोगो को प्रदान करती है, जिन्होंने महिलाओं सशक्तीकरण के लिए काम किया है। नारी शक्ति पुरस्कार से पहले 1991 से ही स्त्री शक्ति पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार संस्थान, समूह और व्यक्ति विशेष तीनों स्तरों पर दिया जाता है। मूलतः छह श्रेणियों में स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2020 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2019 के लिए “नारी शक्ति पुरस्कार” प्रदान किये।

निष्कर्ष

एक विकसित राष्ट्र उसके सबल नागरिकों से अस्तित्व ग्रहण करता है। इस तरह यह साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार अपने जनकल्याणकारी रूप में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चला कर सामाजिक न्याय और सबल नागरिक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। सरकार यह लक्ष्य संगठनात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता और जनसहभागिता तीनों आयामों से प्राप्त करना चाहती है ताकि भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में सम्मानजनक स्थान मिल सके। आज जरूरी हो चला है कि हम बेटियों को पूर्ण इंसान समझना शुरू करें। उनके जीवन को बोझ न समझें। उनके सपनों को पंख दें। उनके हौसलों को उड़ान दें। फिर खुद-ब-खुद हम समझ पाएंगे कि बेटियां दरअसल जीवन से लबरेज रोशनी हैं, जो समतामूलक समाज के खूबसूरत सपने को सच करने का हौसाला रखती हैं। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं व इस तरह की अन्य योजनाओं के रूप में की गई भारत सरकार की पहल उस खूबसूरत सपने के सच होने की उम्मीद जगाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- ❁ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट- finmin.nic.in/hindi/index.asp
- ❁ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट www.mpwed.in
- ❁ www.dw.com/hi/ महिला सशक्तीकरण के दावों से टकराती सच्चाई/ ए-18994158
- ❁ <http://wcd.nic.in/schemes&listing/2405>
- ❁ <http://www.pwtrolium.nic.in/docs/UJJWALA.pdf>
- ❁ www.wcd.nic.in/BBBPScheme/implementatinguideline.pdf

